"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 अगस्त 2013—श्रावण 28, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक 3-5/2007/1-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा श्री न्यायमूर्ति शंभू नाथ श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भूतपूर्व न्यायाधिपति को दिनांक 14-08-2013 को प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक 3-5/2007/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 14th August 2013

NOTIFICATION

No. F 3-5/2007/1-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 3 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the Governor of Chhattisgarh has been pleased to appoint Shri Justice Shambhu Nath Srivastava, former Judge High Court of Allahabad as Pramukh Lokayukt of Chhattisgarh Lok Ayog on 14th August, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.